5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

2/4

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2726 - II - 16

प्र.क. /2016 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता
द्वारा आज दि. 12-8-16 को
प्रस्तुत
12-8-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

WS
मुकेश भार्गव
12-8-16 एडवोकेट
ग्वालियर

1. दौलत सिंह पुत्र स्व. रूपा कुशवाह
2. श्याम सिंह पुत्र स्व. रूपा कुशवाह

विासीगण कलारबाग बैंक कॉलोनी शिवपुरी तह. व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मंती बाई पुत्री स्व. रूपा कुशवाह पत्नी श्री राजेश कुशवाह निवासी पुरानी शिवपुरी तह. व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदक

<u>न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 520/15–16/अपील में पारित आदेश दिंनाक 25.7.16 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम झींगुरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कं. 194, 195, 196 कुल किता 3 कुल रकवा 1.975 हे. में से हिस्सा 1/3 रकवा 3 बीघा 3 विस्वा (0.658 है.) भूमि अनावेदक मंती बाई पुत्री रूपा कुशवाह एवं दख्खों उर्फ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2726–दो/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–08–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक केबियटकर्ता की ओर से जितेन्द्र त्यागी अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र.क्र. 520/15–16 /अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानीकर्ता अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम झींगुरा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र. 194, 195, 196 कुल किता 3 कुल रकवा 1.975 है0 में से हिस्सा 1/3 रकवा 3 बीघा 3 विस्वा (0.658 है0) भूमि अनावेदक मंती बाई पुत्री रूपा कुशवाह एवं दख्खो उर्फ ढरको व रध्धो पुत्रीगण रतना से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2005 से आवेदकगण ने क्रय कर पटवारी मौजा द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 22 दिनांक 08.02.2016 पर प्रविष्टि दर्ज की गयी उक्त प्रविष्टि को तहसीलदार शिवपुरी ने विधिवत इश्तहार जारी कर नामांतरण नियमों का पालन करते हुये अपने आदेश दिनांक 06.03.2006 से विक्रेतागण अनावेदक श्रीमती मंतीबाई एवं दो अन्य के स्थान पर क्रेतागण (आवेदकगण) के नाम प्रमाणित किया गया।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण के पक्ष में किये गये नामांतरण आदेश दिनांक 06.03.2006 के विरूद्ध अनावेदक श्रीमती मंती बाई मात्र एक विक्रेता ने लगभग 7 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील लंबनकाल में ही अनावेदक मंतीबाई ने विक्रय पत्र निरस्त कराने बावत सिविलवाद भी प्रस्तुत कर दिया। सिविल न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 13.08.15 द्वारा वाद भूमि का विक्रय/ अंतरण न किये जाने का स्थगन आदेश जारी किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की अपील में दोनों पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा अपील निरस्त की गई। उनका यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध अनावेदक मंतीबाई ने अधीनरथ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि उक्त विक्रय पत्र धोखा देकर करा लिया गया है जबकि उसने कोई वयनामा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाये गये तथ्यों को मान्य कर प्रथम अपीली न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 निरस्त करने का अनुरोध किया।	

3– अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण द्वारा फर्जी एवं धोखे से प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र मंतीबाई से करा लिया गया जबकि आवेदकगण द्वारा बटवांरा कार्यवाही किये जाने बावत अनावेदक मंतीबाई को तहसील न्यायालय में लेकर गये उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र नहीं किया है जिस विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण ने अपने नाम नामांतरण करा लिया है उक्त विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने बावत बाद प्रस्तुत किया है जो प्र.क्र. ए/2013/इ.दी. पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 13.8.2015 को स्थगन आदेश जारी कर वाद भूमि विकय/अंतरण पर रोक लगाई है। उक्त स्थगन आदेश होने के बाद भी प्रथम अपीली न्यायालय ने अपील निरस्त कर दी उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2016 स्थिर रखते हुए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4– उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके अनुसार विचारण तहसील न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 18.11.05 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेतागण के स्थान पर क्रेतागण (आवेदकगण) के नाम नामांतरण किया गया था प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक श्रीमती

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2726—दो/2016 जिला—शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मंतीबाई एंव दो अन्य ने संयुक्त रूप से एक ही विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2005 से आवेदकगण को विक्रय की है दो अन्य विक्रेता ने उक्त विक्रय पत्र के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। मात्र अनावेदक मंती बाई द्वारा ही उक्त विक्रय पत्र को चुनौती दी है। रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक मंतीबाई द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने बाद व्यवहार बाद भी प्रस्तुत किया गया है जो अभी लंबित है इस कारण व्यवहार न्यायालय से जो भी निर्णय होगा वह उभयपक्षों पर बंधनकारी होगा। इस प्रकार प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा जो आदेश दिनांक 25.7.16 पारित किया गया है वह उचित एवं विधि सम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.16 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	31.5.16 व तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2006 बहाल किये जाते हैं। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण के हक में हुये नामांतरण आदेश के अमल को राजस्व अभिलेख में अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश के पालन में काटा गया है उसे पुनः पूर्ववत आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें।	
	सदस्य	